

प्रेषक,

राकेश शर्मा,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2001

विषय-राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं/सार्वजनिक उद्यमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या (रेपिड सर्वे) के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

(1) अनुसूचित जाति	19%
(2) अनुसूचित जनजाति	04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग	14%

2-शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :-

(i) महिलाएं	20%
(ii) भूतपूर्व सैनिक	02%
(iii) विकलांग व्यक्ति	03%
(iv) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02%

जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा, उसे उसी वर्ग में हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

3-आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश शर्मा,  
सचिव।

1144 (1)/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

आर० सी० लोहनी,  
अनु सचिव।